



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



13 वैशाख, 1946 (श०)

संख्या - 246 राँची, शुक्रवार,

3 मई, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

1 मार्च, 2024

संख्या-5/आरोप-1-39/2019-21324 (HRMS)--श्री मनोज कुमार गुप्ता, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-426/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रतापपुर, चतरा के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज), झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2292 दिनांक-16.10.2019 द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया है। आरोप पत्र में श्री गुप्ता के विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया-

आरोप- प्रखण्ड कार्यालय, प्रतापपुर के अधीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रतापपुर के पद पर पदस्थापित रहने के दौरान श्री मनोज कुमार गुप्ता ने श्री श्यामल कुमार आयकत, सेवानिवृत्त पंचायत सचिव, प्रतापपुर को सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत वृद्धा पेंशन वितरण हेतु दिए गए अग्रिम एवं समायोजित राशि 1074200/- के समायोजन अथवा वापसी हेतु आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई, जिससे लक्षित समूह को योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो सका। श्री गुप्ता के इस कृत्य से सरकारी राशि का दुरुपयोग हुआ। श्री गुप्ता का यह आचरण सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3(3) के प्रतिकूल है ।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-1081, दिनांक 10.02.2020 द्वारा श्री गुप्ता से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। उक्त के अनुपालन में श्री गुप्ता के पत्रांक-1047, दिनांक 02.03.2020 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री गुप्ता के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-2602, दिनांक 28.05.2020 द्वारा उपायुक्त, चतरा से मंतव्य की माँग की गयी। श्री गुप्ता के स्पष्टीकरण पर उपायुक्त, चतरा के पत्रांक-64/स्था०, दिनांक 24.02.2023 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया ।

श्री गुप्ता के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, चतरा से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-20955(HRMS), दिनांक 11.05.2023 द्वारा श्री गुप्ता के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित है ।

विभागीय जाँच पदाधिकारी के पत्रांक-216, दिनांक 01.09.2023 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें प्रतिवेदित किया गया कि श्री गुप्ता के विरुद्ध गठित विभागीय आरोप तकनीकी रूप से प्रमाणित नहीं होता है।

श्री गुप्ता के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, विभागीय कार्यवाही के दौरान इनके द्वारा समर्पित बचाव बयान एवं विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि-

(i) आरोपी पदाधिकारी द्वारा बचाव बयान में समर्पित है कि वे दिनांक 30.09.2014 से 20.07.2016 तक प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रतापपुर, चतरा के पद पर कार्यरत थे। श्री आयुक्त, सेवानिवृत्त पंचायत सेवक को इनके स्तर से अग्रिम का भुगतान नहीं किया गया है। मामला इनके संज्ञान में आने के बाद प्रखण्ड कार्यालय के पत्र सं०-704, दिनांक 15.09.2015 एवं पत्र सं०-13, दिनांक 07.01.2016 द्वारा जिला स्थापना उप समाहर्ता, चतरा से मार्गदर्शन की माँग की गयी। इनके द्वारा बचाव बयान में यह भी समर्पित है कि सरकारी राशि के समायोजन हेतु अथक प्रयास किया जाता रहा है एवं समुचित कार्रवाई की गयी है। परन्तु दिनांक 20.07.2016 को प्रखण्ड का प्रभार सौंपने के बाद राशि की वसूली की कार्रवाई नियमित रूप से नहीं की गयी ।

(ii) आरोपी पदाधिकारी के बचाव बयान पर उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा मंतव्य में प्रतिवेदित है कि आरोपी पदाधिकारी के कार्यकाल लगभग 2 वर्ष रहा है तथा इस अवधि में असमायोजित राशि 1074200/- रुपये का समायोजन हेतु स्थापना उप समाहर्ता को पत्राचार किया गया। अपितु सामंजन अथवा वापसी (Recovery) का प्रयास आरोपित पदाधिकारी द्वारा नहीं किया गया, जिसके कारण श्री गुप्ता आंशिक रूप से दोषी हैं ।

(iii) विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन में श्री गुप्ता के विरुद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं होता है, प्रतिवेदित किया गया है, जो स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि श्री गुप्ता का उक्त पद पर कार्यकाल लगभग 2 वर्ष था। उक्त अवधि में अगर ये चाहते तो, समायोजित राशि 1074200/- के समायोजन अथवा वापसी की जा सकती थी ।

(iv) उनके द्वारा पत्रांक-704, दिनांक 15.09.2015 द्वारा स्थापना उप समाहर्ता से श्री आयकत के सेवानिवृत्ति के संबंध में सूचना उपलब्ध कराते हुए मात्र उसके निलंबन एवं सेवानिवृत्ति के संबंध में उचित निर्देश की माँग की गयी है। उक्त पत्र में कही भी असमायोजित अग्रिम राशि के संबंध में जिक्र नहीं किया गया है। इसी तरह पत्रांक-13, दिनांक 07.01.2016 द्वारा जिला स्थापना उप समाहर्ता से पत्राचार कर मार्गदर्शन का अनुरोध किया गया था, परन्तु असमायोजित अग्रिम राशि 1074200/- रुपये के वापसी/वसूली हेतु उनके द्वारा न तो कोई कारगर कार्रवाई की गयी है न ही इसकी वसूली हेतु कोई प्रस्ताव उपायुक्त को समर्पित किया गया है। उक्त सरकारी राशि की वसूली हेतु नीलाम पत्र वाद दायर करने की प्रक्रिया भी उनके द्वारा प्रारंभ नहीं की गयी है।

(v) उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि दो वर्षों के कार्यकाल में इनके द्वारा असमायोजित राशि वापसी हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि केवल खानापूति की गई है।

अतः विभागीय जाँच पदाधिकारी के प्रतिवेदन से असमहत होते हुए श्री गुप्ता के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड प्रस्तावित किया गया तथा प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक-6012, दिनांक 27.10.2023 द्वारा श्री गुप्ता से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी। उक्त के अनुपालन में श्री गुप्ता के पत्रांक-95, दिनांक 12.01.2024 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया। समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा में इनके द्वारा निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया-

“इनके द्वारा तत्कालिक निलंबित पंचायत सचिव श्री श्यामल कुमार आयकत से असमायोजित राशि 1074200 के समायोजन हेतु जिला स्थापना उप समाहर्ता, चतरा से राशि के समायोजन एवं मार्गदर्शन हेतु पत्राचार किया गया तथा श्री आयकत को सेवानिवृत्ति उपादान एवं सामान्य भविष्य निधि की जमा राशि भुगतान पर तत्काल प्रभाव से राशि के सामंजन हेतु रोक लगाया गया। तत्पश्चात् श्री आयकत द्वारा जिला स्तरीय पेंशन एवं उपादान हेतु आयोजित अदालत में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चतरा के विरुद्ध पावना भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया गया। तत्पश्चात् बाध्य होकर श्री आयकत द्वारा राशि के सामंजन से संबंधित शपथ पत्र प्राप्त कर पत्र संख्या-418, दिनांक 17.05.2016 द्वारा स्थापना उप समाहर्ता, चतरा को भेजा गया। जिला स्थापना उप समाहर्ता से माँगा गया मार्गदर्शन के विरुद्ध निर्देश अथवा जवाब इनको उपलब्ध नहीं कराया गया। इस बात की सम्पुष्टि संचालन पदाधिकारी-सह-विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा भी की गई है।

जबकि स्थापना उप समाहर्ता, चतरा को इनके द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आलोक में संचिका संधारित कर अग्रसारित करते हुए उपायुक्त, चतरा से राशि वसूली हेतु श्री आयकत पर नियमानुकूल एवं विधि सम्मत कार्रवाई करने का आदेश प्राप्त कर इन्हें ससमय उपलब्ध कराया जाता ताकि ये उक्त आदेश का अनुपालन करते तथा उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, चतरा का कार्यालय विधि शाखा द्वारा राशि के सामंजन हेतु माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची के समक्ष प्रतिहस्ताक्षरित शपथ पत्र राशि समायोजन का उल्लेख करते हुए दायर किया जाना चाहिए था, जो कि इनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है।”

श्री गुप्ता द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्री गुप्ता द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा में प्रायः उन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया गया है, जो उनके द्वारा पूर्व में अपने स्पष्टीकरण में उल्लेखित किया गया है। उनके द्वारा आरोप को अप्रमाणित करने से संबंधित कोई भी साक्ष्य या तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः समीक्षोपरांत, श्री मनोज कुमार गुप्ता, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 426/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रतापपुर, चतरा द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकार करते हुए उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	MANOJ KUMAR GUPTA JHK/JAS/260	श्री मनोज कुमार गुप्ता, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 426/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रतापपुर, चतरा द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकार करते हुए उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टु दोराईबुरु,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या:20060400057
